

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद

वाद सं० ४९ /२००८-०९

श्रीमती पारवती जनदेवी सरल बनाम् उप्र० सरकार

डबलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी

घाना-१४३ ज०वि० एवं भू०व्य०अधि०

मौजा-मदनपुर, शिकोहाबाद

लक्ष्मिनिर्णय/२०१०/५

प्रस्तुत कार्यवाही श्रीमती परवती जनदेवी सरल डबलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमत्त आर०एल० सुमन, ३० शैक्षणिक प्रा० कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव नियासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत १४३ ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर घोषित की गयी। जिसमें कहा कि प्रार्थीगण मौजा-मदनपुर के खाता संख्या १८० में अंकित गाठा सं० २१५ रकवा ०-२७१ह० व खाता संख्या २१३ गाटा संख्या २१६ रकवा ०-१३८ह० कुल दो किता रकवा ०-४०९ह० के भूमिघर काश्तकार हैं उपरोक्त भाग में शैक्षणिक संस्था का निर्माण है उक्त भाग में कोई कृषि कार्य, कुकुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है, उक्त भूमि के गाटा संख्या को लगान से मुक्त करते हुये अकृषक भूमि घोषित किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद से कराई गयी। तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक २०.५.२००९ को निर्धारित प्रालूप इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गयी। जिसमें कथन किया है कि मौजा-मदनपुर के खाता संख्या १८० में अंकित गाटा सं० २१५ रकवा ०-२७१ह० व खाता संख्या २१३ गाटा संख्या २१६ रकवा ०-१३८ह० कुल दो किता रकवा ०-४०९ह० पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डबलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमत्त आर०एल० सुमन, ३० शैक्षणिक प्रा० कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव नियासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्राप्ति तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के उपरान्त निर्माण करावे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दाखिल दफ्तर की जावे।

मैंने वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, शिकोहाबाद यजी आख्या दिनांक २०-५-०९ का अवलोकन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा-मदनपुर स्थित उक्त गाटा संख्या की भूमि पर कृषि, कुकुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी को आवादी भूमि घोषित किया जाना हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

### आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा-मदनपुर तहसील-शिकोहाबाद स्थित खाता संख्या १८० में अंकित गाटा सं० २१५ रकवा ०-२७१ह० मा०गु० १३-४० रूपया व खाता संख्या २१३ गाटा संख्या २१६ रकवा ०-१३८ह० मा०गु० ६-८० रूपया कुल दो किता रकवा ०-४०९ह० पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डबलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमत्त आर०एल० सुमन, ३० शैक्षणिक प्रा० कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव नियासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्राप्ति तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के उपरान्त निर्माण करावे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक २८-०५-२००९

(सतीशचन्द्र शुक्ला)

असि० क० प्र०श्रेणी/उपजिलाधिकारी

शिकोहाबाद